न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—192/2020/223 (2020/00192)

1. श्रीमती कान्ता जैन पत्नि अमृत कुमार जैन,
2. संजय जैन पुत्र अमृत कुमार जैन,
   निवासी सरावगी मौहल्ला, ब्यावर, जिला अजमेर । बजरिये मुख्तयारआम अनिल कुमार जैन पुत्र प्रकाश चन्द जैन, निवासी सरावगी मौहल्ला, ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती रेणु गुप्ता पत्नि सुनील गुप्ता, जाति अग्रवाल, निवासी ज—1—38, रिको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक, तहसीलदार, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 21.8.2020 अंतर्गत वाद संख्या 95/2012 .

उपस्थितः—

1. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील अपीलांटस ।
2. श्री एहतेशाम चिश्ती, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 21.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय दिनांक 21.8.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम देलवाड़ा की आराजी खसरा संख्या 1475/1 रकबा 00—17—10 किस्म बा.2 के खातेदार प्रार्थी संख्या 2 तथा पद संख्या 1 (ख) में वर्णित आराजी खसरा संख्या 1476/1 रकबा 01—09—00 किस्म बा.2 के खातेदारी प्रार्थी संख्या 1 तथा पद संख्या 1 (ग) में वर्णित आराजी खसरा संख्या 1478 रकबा 1—14—10 के खातेदार प्रार्थी संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से चले आ रहे है । उपरोक्त वर्णित भूमियों के दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 1477/1 रकबा 4—12—00 स्थित है व उसके आगे आम रास्ता है । प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है तथा वादग्रस्त भूमियों के दक्षिण मे खसरा संख्या 1477 अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि है व उसके आगे आम रास्ता जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है जिसे परिशिष्ठ "क" में दर्शाया गया है । उक्त रास्ता पश्चिम में आगे जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 में मिलता है । प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी में से आवागमन कर रहे है । प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1

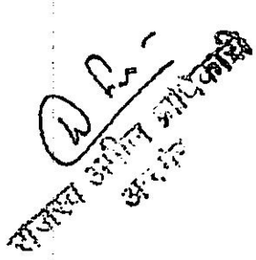

से अपने खेतों पर जाने के लिए 30 फुट रास्ता दिये जाने का निवेदन किया जिससे वे इंकार हो गये । इस कारण यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1477 या 1477/1 में से 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1478 तक पहुंच हेतु दिलाया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 21.8.2020 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के सर्वथा विपरीत है । प्रतिपादित सिद्धांतों व न्यायिक दृष्टांतों व तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट दिनांक 14.8.2020 के भी प्रतिकूल है । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 10.8.2015 के अनुसार पत्रावली प्रार्थना पत्र हेतु विचाराधीन थी किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई किये बिना तथा निर्णय किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिससे अधी0न्याया0 का निर्णय विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है। बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । वादग्रस्त भूमियों के दक्षिण मे खसरा संख्या 1477 अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि है व उसके आगे आम रास्ता जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है जिसे परिशिष्ठ क में दर्शाया गया है । उक्त रास्ता पश्चिम में आगे जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 में मिलता है । प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी में से आवागमन कर रहे है । तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी में से रास्ता दिये जाने उचित माना है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने तहसीलदार की रिपोर्ट के विपरीत प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांटस की आराजी में आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता मौजूद है । प्रार्थीगण की भूमियों के लगते खसरा संख्या 1460 स्थित है । इस भूमि से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन करते है तथा वर्तमान में भी कर रहे है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत स्वंय की आराजियात में आवागमन का कोई रास्त उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही रास्ते दिये जाने का प्रावधान है जबकि अपीलांटस की आराजियात में आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता मौजूद है जिसका वह निरन्तर उपयोग उपभोग करता आ रहा है । प्रार्थीगण कभी भी रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी से आवागमन नहीं करते थे ना ही आज कर रहे है । तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में उक्त रास्ते का उपयोग करना अंकित किया है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । <u>प्रार्थीगण/अपीलांटस</u> ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 पेश कर स्वंय की खातेदारी आराजी खसरा नंबर

1475/1, 1476/1 व 1478 में आवागमन हेतु अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 1477 की आराजी में से आवागमन हेतु अनुतोष चाहा । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रास्ते के संबंध में तहसीलदार ब्यावर से मौका रिपोर्ट तलब की है जिस पर तहसीलदार, ब्यावर ने दिनांक 14.8.2020 को मौका रिपोर्ट अधी0न्याया0 को प्रेषित की है। उक्त रिपोर्ट के पैरा संख्या 2 में तहसीलदार ने स्पष्ट अंकित किया है कि " प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत खसरा संख्या 2244/1475, 2246/1476 व 1478 में खसरा नंबर 2256/1460 रकबा 50–11–10 किस्म दांती चारागाह ग्राम पंचायत देलवाड़ा में से होकर आने–जाने के लिए उपयोग करता है । " उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु खसरा नंबर 2256/1460 का रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग किया जा रहा है । **धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में किसी काश्तकार की आराजियात में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही रास्ता दिये जाने का प्रावधान है** । अपीलांट की आराजियात में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता होने से अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.8.2020 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर